



2026:AHC:175344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 8570 सन् 2026

सद्दाम हुसैन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: फरहा नाज़

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

: जी०ए०

न्यायालय कक्ष संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए० को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 43 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 121(1), 132, 352, 115(2), 109(1) बी० एन० एस०, पुलिस थाना-पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में 10 अन्य अभियुक्तों और 7 से 8 अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामित किया गया है। आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रीकांत चौधरी, उप निरीक्षक, पुलिस थाना-पाकबड़ा, मुरादाबाद द्वारा दर्ज कराई गई है। आवेदक और अन्य अभियुक्तों को एक सामान्य भूमिका दी गई है कि उन्होंने एक जाबिर से पूछताछ करने के लिए गए पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त घटना में पुलिस ने मोहल्ले के निवासियों को मिथ्या रूप से आरोपित किया है। किसी भी पुलिस कर्मी को ऐसी चोट नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगी है जिसे गंभीर प्रकृति की या जीवन के लिए खतरनाक माना जा सके। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 10926 सन् 2026 दाखिल की थी, जिसमें 6 याचिकाकर्ताओं, जो महिलाएं थीं, को न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया था और आवेदक तथा अन्य अभियुक्त याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका निरस्त कर दी गई थी। अतः, आवेदक ने वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है।

4. विद्वान ए० जी० ए० ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने विवेचना की सम्यक् प्रक्रिया तथा पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य के निर्वहन को विफल किया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की है, जिन्हें चोटें आई हैं। यहां तक कि पुलिस कर्मियों में से एक की वर्दी भी अभियुक्तों द्वारा फाड़ दी गई है। तथापि, विद्वान ए० जी० ए० ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक को एक सामान्य भूमिका दी गई है। किसी भी पुलिस कर्मी को ऐसी चोट प्राप्त होना नहीं बताया गया है, जिसे जीवन के लिए खतरनाक माना जा सके। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और उसे लगभग 34 वर्ष की आयु का एक नवयुवक बताया गया है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अनुमत** किया जाता है।
9. आवेदक **सद्दाम हुसैन** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त वाद अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाएगा:
 - i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे;

10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

ए पी पांडेय